

कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम म.प्र.

क्रमांक /साधिकार अभियान/2015

रतलाम दिनांक /07/2015

आदेश

साधिकार अभियान के तहत साधिकार ग्रामदल के द्वारा विशेष ग्राम सभा के आयोजन के पूर्व ग्राम में सर्वे कर, जनता को योजनाओ की जानकारी देगे। साधिकार ग्राम दल द्वारा विशेष ग्रामसभा के पूर्व व दौरान विहित प्रारूप में आवेदन पत्र भरे जावेगे संबंधित योजना हेतु आवश्यक अभिलेख संलग्न करवाये जाएंगे।

साधिकार ग्रामदल विशेष ग्राम सभा के पूर्व प्रत्येक घर जायेगे। यह कि पदीय कर्तव्य पूर्ण करने के पूर्व या पश्चात जायेगे। विशेष ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। साधिकार ग्राम दल में निम्न लिखित सदस्य होंगे, जिनका कार्य उनके नाम के सम्मुख दर्शित है:-

अ	1. सरपंच 2. सचिव 3. ग्राम रोजगार सहायक	ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं तथा पात्रता पर्ची
ब	1. पटवारी 2. कोटवार	राजस्व विभाग के कार्य
स	1. प्रधानाध्यपक माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय	श्रम विभाग की योजना
द	2. आंगनवाडी कार्यकर्ता 3. आंगनवाडी सहायिका	लाडली लक्ष्मी योजना

अपर कलेक्टर
जिला रतलाम

पृ. क्रमांक /साधिकार अभियान/2015

रतलाम दिनांक 18.07.2015

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम /जावरा /आलोट / सैलाना ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रतलाम/जावरा/पिपलौदा/आलोट/सैलाना बाजना।
5. संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुखकी
और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला रतलाम